महानिदेशालय, के.रि.पु.बल
केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003
गृह मंत्रालय

संख्या : डी.आई–1/2015–स्थापना दिनांक 20/7/2015

स्थाई आदेश संख्या 05/2015

विषय :– अराजपत्रित (एक्जीक्यूटिव/तकनीकी/ट्रेड्समैन/सिगनल) बल कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति

उपर्युक्त विषय पर स्थाई आदेश सं0 02/2012 और इसके अनुशेष के अंतर्गत जारी अनुदेशों/आदेशों के अधिक्रमण में, केरिपुबल के कार्मिकों को विभिन्न संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के बारे में निम्न मानदण्ड़ लागू होंगे :–

एनएसजी/एसपीजी में प्रतिनियुक्ति के लिए :–

(क) सेवा : अराजपत्रित अधिकारियों (जीडी व सिगनल) की बेसिक प्रशिक्षण के पश्चात न्यूनतम 3 वर्ष की फील्ड़ सेवा पूरी होनी चाहिए।

(ख) आयु : एनएसजी/एसपीजी में प्रतिनियुक्ति के लिए आयु एवं शिक्षा के मानदंड इस प्रकार हैं

एनएसजी			एसपीजी		
पद	फील्ड कार्मिक	एडम कार्मिक	पद	आयु सीमा	शिक्षा
निरीक्षक	43 वर्ष से नीचे	43 वर्ष से नीचे	जीडी कार्मिक		
निरीक्षक/जेई/सिविल/इलैक्ट्रिशियन/ड्राफ्समैन	–	45 वर्ष से नीचे	निरी0/जीडी	38 वर्ष से नीचे	स्नातक
उप निरी0	40 वर्ष से नीचे	40 वर्ष से नीचे	उप निरी0/जीडी	35 वर्ष से नीचे	–उक्त–
हवलदार	38 वर्ष से नीचे	45 वर्ष से नीचे	सउनि/हव0 व सिपाही/ जीडी	35 वर्ष से नीचे	मैट्रिक या समकक्ष
सिपाही	30 वर्ष से नीचे	45 वर्ष से नीचे (सुरक्षा सहायक ड्यूटियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)	तकनीकी/संचार कैडर		

अराजपत्रित अधिकारी (महिला कमान्डों)			निरी0/उप निरी0 (रे0आ0/तक0)	43 वर्ष से नीचे	स्नातक
निरीक्षक	35 वर्ष से नीचे				
उप निरी0	35 वर्ष से नीचे		सउनि/हव0 (रे0आ0/तक0)	40 वर्ष से नीचे	मैट्रिक या समकक्ष
हवलदार	35 वर्ष से नीचे		एमटी कैडर		
सिपाही	35 वर्ष से नीचे		उप निरी0 (एमएम)	43 वर्ष से नीचे	
			हव0/चा0, हव0/ फिटर एवं सि0/फिटर	40 वर्ष से नीचे	
			सि0/चा0	35 वर्ष से नीचे	

ग) इच्छुकता	:	इच्छुकता की जरूरत नहीं है।
घ) सतर्कता एवं सत्यनिष्ठा	:	अनुशासनिक/सतर्कता दृष्टिकोण से मुक्त होना चाहिए।
ड) सेवा रिकार्ड	:	एनएसजी :– नामांकित किए गए कार्मिकों का वार्षिक गोपनीय रिकार्ड श्रेणी ''अच्छा'' से नीचे नहीं होना चाहिए। पिछले तीन साल का रिकार्ड सजा से मुक्त होना चाहिए और उसे पूरी सेवा के दौरान कोई बड़ी सजा न मिली हो। एसपीजी :– नामांकित किए गए कार्मिकों का वार्षिक गोपनीय रिकार्ड श्रेणी ''अच्छा'' से नीचे नहीं होना चाहिए। पूरी सेवा के दौरान औपचारिक सजा न मिली हो।
च) चिकित्सा श्रेणी	:	शेप–एक
छ) प्रतिनियुक्ति कार्यकाल	:	एसपीजी – 06 वर्ष एनएसजी – 05 वर्ष
ज) अधिमान	:	जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित, पूर्वोत्तर और कश्मीर में 3 वर्षो की सेवा की हो, उन्हें वरीयता दी जाएगी।

(2) <u>अन्य संगठनों के लिए :–</u>

क)	सेवा	:	सभी रैंकों के लिए परिवीक्षा अवधि सहित कुल 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। जिसमें से 3 वर्ष की सेवा किसी ड्यूटी बटालियन में आवश्यक है।
ख)	प्रतिनियुक्ति के नामांकन हेतु पात्रता के लिए कार्यक्षेत्र	(1)	(i) गैर राजपत्रित अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति के अनुसार सभी कठिन क्षेत्र स्थित स्टेशन और फील्ड स्टेशन – पुरूष कार्मिकों के लिए। (ii) सभी महिला एवं द्रुत कार्य बल बटालियनें – केवल महिला कार्मिकों के लिए
ग)	इच्छुकता	:	प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए उसके द्वारा इच्छुकता दी जानी चाहिए (एनडीआरएफ के लिए इच्छुकता की आवश्यकता नहीं है)
घ)	सतर्कता व सत्यनिष्ठा	:	अनुशासनिक/सतर्कता दृष्टिकोण से मुक्त होना चाहिए।
ड)	सेवा रिकार्ड	:	अच्छा सेवा रिकार्ड होना चाहिए और पिछले 5 वर्षो में कोई बड़ी सजा न मिली हो।
च)	प्रशिक्षण/कोर्स	:	केरिपुबल में भर्ती होने के बाद कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया हो, जिसके परिणामस्वरूप उसे प्रशिक्षक बनाया गया हो अथवा प्रशिक्षक के रूप में उसका नाम सूची में डाला गया हो। परन्तु किसी मामलें में कुछ आदाता संगठन जैसे एसवीपी–एनपीए प्रशिक्षित/विशिष्ट प्रशिक्षकों की मांग करते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते केरिपुबल की जरूरतें प्रभावित न हों।
छ)	अधिमान	(i)	जिन्होंने छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों विशेषकर एसओजेड में सेवा की हो, उन्हें प्रथम वरीयता दी जाएगी।
		(ii)	जिन कार्मिकों की परिचालनिक उपलब्धियां अच्छी हैं अथवा फील्ड में अनुकरणीय कार्य किया है तो कठिन और परिचालनिक क्षेत्र में बेहतर निष्पादन के लिए उत्साहवर्धन स्वरूप वरीयता दी जाएगी।
		(iii)	जिनकी निम्न चिकित्सा श्रेणी है, विशेषकर यदि वह फील्ड में परिचालन की वजह से घटित हुआ है।

ज)	दूसरी बार प्रतिनियुक्ति :	(i)	2 प्रतिनियुक्तियों के बीच में कम से कम 3 वर्षो की अन्तराल (कूलिंग ऑफ) अवधि होगी। यह उन कार्मिकों पर भी लागू होगा जिन्होंने प्रतिनियुक्ति पर सेवा की है/वे विदेश में संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति सदभावना मिशन में तैनात है।
		(ii)	पहली बार प्रतिनियुक्ति के लिए ऊपर लिखित सभी शर्ते दूसरी बार की प्रतिनियुक्ति हेतु भी लागू होगी। बशर्ते कि संबंधित केरिपुबल कार्मिकों की :– I. न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा ड्यूटी बटालियन में की हो और II. न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा कठिन क्षेत्रों जैसे जम्मू व कश्मीर पूर्वोत्तर क्षेत्र और नक्सल प्रभावित राज्यों में पूरी होनी चाहिए।
झ)	बोर्ड की नियुक्ति	:	अधीनस्थ अधिकारियों और जीडी एवं सिगनल के अन्य रैंकों के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के सभी मामले उस अधिकारी द्वारा निर्णीत किए जाएंगे, जो महानिरीक्षक (कार्मिक/प्रशा0) केरिपुबल के रैंक से नीचे न हो तथा इस प्रकार के आवेदनों की संवीक्षा के लिए निम्नलिखित अधिकारियों का बोर्ड भी नियुक्त करना अपेक्षित होगा :– <u>अधीनस्थ अधिकारी एवं अन्य रैंकों के लिए अधिकारियों का बोर्ड</u> I. अध्यक्ष – पु0उ0म0नि0 II. सदस्य–एक– कमान्डेंट III. सदस्य–दो– उप कमान्डेंट (महानिदेशक द्वारा नामांकित)
ट)	प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल	(i)	प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष की होगी, जिसे एक बार में एक वर्ष के आधार पर 5 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, बशर्ते कि आदाता संगठन/विभाग के विशिष्ट अनुरोध पर केरिपुबल की पूर्व सहमति के साथ नियमों के अंतर्गत विस्तार की अनुमति देय हो।
		(ii)	प्रतिनियुक्ति अधिकारी, जिनमें जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर है, भी शामिल हैं, को प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर कार्यमुक्त समझा जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अनुमोदन के साथ प्रतिनियुक्ति अवधि को उसके समाप्त होने की तिथि से पहले लिखित में बढ़ा नहीं दिया जाता है, जिस संगठन/विभाग में अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है, वहां उसके तात्कालिक वरिष्ठ अधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि प्रतिनियुक्त अधिकारी निर्धारित समय से अधिक नहीं ठहरता है।
		(iii)	इसके अतिरिक्त अधिकारी द्वारा किसी भी कारणों से निर्धारित समय से अधिक ठहरने की स्थिति में वह अनुशासनिक कार्रवाई और अन्य प्रतिकूलन कानूनी/सेवा परिणामों हेतु पात्र होगा जिसमें उसकी अप्राधिकृत रूप से गैरहाजिर अवधि को पेंशन के उद्देश्य हेतु सेवा के रूप में नहीं गिनना आदि शामिल होगा और अप्राधिकृत रूप से गैरहाजिर होने की अवधि के दौरान देय वार्षिक वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव सहित तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि अधिकारी केरिपुबल में पुनः रिपोर्ट नहीं करता है।
		(iv)	प्रतिनियुक्ति के विस्तार हेतु कोई भी प्रस्ताव आदाता संगठन/विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से कम से कम छः महीने पहले भेजना होगा और इस प्रकार के विस्तार हेतु प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक की इच्छुकता भी साथ में भेजी जाएगी। आदाता संगठन/विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विस्तार हेतु मांग/अनुरोध भेजने के दौरान संबंधित कार्मिक की सेवा अभिलेख सतर्कता मुक्त प्रमाण पत्र भी केरिपुबल को भेजा जाए ताकि प्रस्ताव को शीघ्र आगे बढ़ाया जा सके।

		(v)	यह प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, मूल केडर में प्रोफार्मा पदोन्नति के कारण संबंधित कर्मचारी उसके पुराने केडर पद की तुलना में मूल केडर में उच्च वेतनमान/वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का हकदार बन जाता है तो कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से विस्तारित अवधि को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते कि उसका कुल मूल वेतन उसके प्रतिनियुक्ति पद के वेतन बैंड जमा ग्रेड वेतन में अधिकतम वेतन से अधिक नहीं होता है। प्रतिनियुक्ति की मंजूर अवधि पूर्ण होने के उपरांत उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि में कोई विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
		(vi)	यदि किसी व्यक्ति की केरिपुबल में जरूरत है तो बाद में उसके प्रत्यावर्तन के लिए कहा जा सकता है जिसका आदाता संगठन द्वारा पालन किया जाना चाहिए।
ठ	स्थायी विलयन	(i)	आदाता संगठन/विभाग में विलय किए जाने वाले प्रस्तावित केरिपुबल कार्मिकों की न्यूनतम सेवा आदाता संगठन/विभाग में विलयन किए जाने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए। विलय के लिए प्रस्तावित व्यक्ति उक्त संगठन/विभाग में पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर होना चाहिए। निम्न चिकित्सा श्रेणी कार्मिकों के मामले में 18 वर्ष की इस शर्त को 15 वर्ष पढ़ा जाए।
		(ii)	यदि केरिपुबल में कार्मिकों की पदोन्नति जारी कर दी गई है तो इन कार्मिकों की निम्नतर पद पर विलयन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मंजूर नहीं की जाएगी।
		(iii)	ऐसे कार्मिक, जिन्हें आदाता संगठन द्वारा प्रदाता संगठन/गृह मंत्रालय/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (जैसा मामला हो) की अनुमति के बिना प्रतिनियुक्ति की मंजूर अवधि से अधिक समय के लिए रोककर रखा गया है, उन्हें विलयन के लिए एन ओ सी की अनुमति नहीं दी जा सकती। पैरा (ट) (i) (ii) (iii) में उल्लिखित शर्तो का भी अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए।
		(iv)	जहां किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति पर विलयन के लिए इच्छुकता प्रस्तुत की जाती है और आदाता संगठन/विभाग द्वारा मांग भेजी जाती है तो उस व्यक्ति अथवा आदाता विभाग को विलयन के लिए अधिकार जताने का दावा करने का हक नहीं होगा। विलयन के लिए अनुरोध को मंजूर अथवा नामंजूर करने का निर्णय केवल मूल विभाग अर्थात केरिपुबल को होगा। जीडी और सिगनल कर्मियों के प्रत्येक रैंक के विलयन के मामले महानिदेशक, केरिपुबल द्वारा निर्णित किए जाएंगे।
		(v)	समय अवधि में बढ़ोत्तरी और स्थायी विलयन के लिए कोई भी प्रस्ताव आदाता संगठन द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से छः महीने पहले ही भेजा जाएगा और इस प्रकार के विलयन हेतु प्रतिनियुक्ति पर गए कार्मिक की इच्छुकता भी भेजी जाएगी।
		(vi)	जिन कार्मिकों की सेवा 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो अथवा उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है अथवा उनकी निम्न चिकित्सा श्रेणी (एलएमसी) है, सामान्यतः उन्हें ही आदाता संगठन/विभाग, जहां पर वे प्रतिनियुक्ति पर हैं, में विलयन की अनुमति दी जाएगी। जिन कार्मिकों की निम्न चिकित्सा श्रेणी है, उस मामले में 18 वर्ष की सेवा की शर्त को 15 वर्ष की सेवा पढ़ा जाए।
		(vii)	स्थायी विलयन के लिए प्रतिवेदन पर समिति बल से बाहर किसी संगठन में स्थायी विलयन के लिए मना करने से दुखी कोई भी अधीनस्थ अधिकारी और अन्य रैंक के व्यक्ति इस प्रकार के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए महानिदेशक केरिपुबल को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। महानिदेशक इस प्रकार के प्रतिवेदन की संवीक्षा व सिफारिशों के लिए निम्नानुसार समिति गठित करेगा :–

			क) पीठासीन अधिकारी – विशेष महानिदेशक/अपर महानिदेशक ख) सदस्य–एक – पुलिस उप महानिरीक्षक ग) सदस्य–दो – गृह मंत्रालय का अवर सचिव समिति प्रतिवेदन की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने के उपरांत, मुद्दे से संबंधित सभी तथ्यों और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थानान्तरण नियमों और समय–समय पर उक्त विषय पर जारी अन्य नियमों/अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक को उपयुक्त सिफारिश प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करते हुए महानिदेशक द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संबंधित कर्मचारी को निर्धारित समयावधि के अंदर लिए गए निर्णय से अवगत कराया जाएगा।
(3)	अन्य शर्ते	(क)	किसी व्यक्ति को उस पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए नामांकित नहीं किया जाएगा, जिसका ग्रेड वेतन/वेतनमान/स्तर उसके द्वारा अपने विभाग में धारित पद से कम हो।
		(ख)	एसपीजी और एनएसजी को छोड़कर बाह्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए किसी भी रैंक के व्यक्तियों की संख्या उस रैंक की स्वीकृत नफरी में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
		(ग)	एसपीजी, एनएसजी, एनडीआरएफ, आईबी/बीओआई और एसवीपी, एनपीए को छोड़कर किसी भी रैंक का कोई भी व्यक्ति संवर्ग बाह्य पद के लिए प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाना चाहिए यदि उस रैंक में रिक्तियों की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक है।
		(घ)	अन्य संगठनों से किसी व्यक्ति का प्रतिनियुक्ति हेतु उसके समर्थन में उपनाम सहित मांग आने पर सामान्यतः उस पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय विशेष परिस्थितियों के, किसी भी मामले में अपेक्षित मानदण्ड पूरे करने होंगे।
		(च)	अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों के नामांकन पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने 10 वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली है और पिछले 07 वर्षो में 03 वर्ष की फील्ड तैनाती अनिवार्य रूप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/पूर्वोत्तर/कश्मीर घाटी में हो।
		(छ)	केरिपुबल कार्यालयों/यूनिटों/संस्थानों में स्थायी/शांत तैनाती का उपभोग करने के उपरांत फील्ड यूनिट में तैनात कार्मिक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित/पूर्वोत्तर /कश्मीर क्षेत्र में न्यूनतम 02 वर्षो का कार्यकाल अथवा अन्य यूनिटों में 03 वर्षो का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत एनएसजी, एसपीजी और अन्य संगठन सहित किसी भी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
		(ज)	सभी संलग्नता अवधि को प्रतिनियुक्ति उद्देश्य हेतु स्थायी कार्यकाल के रूप में गिना जाएगा।
		(झ)	प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने के समय स्थायी तैनाती (संलग्नता सहित) का लाभ उठा रहे कार्मिकों ने यदि वर्तमान स्थायी तैनाती/संलग्नता पर 2 वर्ष से अधिक उनका वर्तमान कार्यकाल पूर्ण कर लिया है तो वे प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। (शांत/स्थायी स्टेशन की गणना गैर राजपत्रित अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति के अनुसार की जाएगी)
		(ट)	जिन कार्मिकों (महिला कार्मिकों को छोड़कर) ने पिछले 10 वर्षो में दिल्ली में सेवा की है अथवा 05 वर्षो से अधिक अवधि के लिए इच्छित स्थान की प्रतिनियुक्ति का उपभोग किया है, उनका अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

		(ठ)	जहां पर विशिष्ट रैंकों का निर्धारित प्रतिनियुक्ति कोटा गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही तय कर रखा है, क्योंकि उनकी सेवाएं टुकड़ियों, यूनिटों आदि में नितांत आवश्यक हैं, उनको छोड़कर तकनीकी/ट्रेड्समैन (जैसे कि पेंटर, कारपेंटर, टेलर, मोची, माली, बैंड, कुक, जलवाहक, सफाई कर्मचारी, नाई और धोबी इत्यादि) को अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा।
		(ड)	उत्कृष्ट कौशल वाले कार्मिकों जैसे राजमिस्त्री, इलैक्ट्रिशियन, नलसाज और दर्जी को प्रतिनियुक्ति के लिए अन्य संगठनों में नहीं भेजा जाएगा।
		(ढ)	एग्जीक्यूटिव कैडर के अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती नियमों में दिए अनुसार उनके वर्तमान रैंक में अनिवार्य फील्ड़ सेवा पूर्ण होनी चाहिए और वह पदोन्नति जोन में नहीं होना चाहिए। तथापि यह आवश्यकता एसपीजी और एनएसजी प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू नहीं होगी क्योंकि इन संगठनों में दी गई सेवा को पदोन्नति के उद्देश्य हेतु फील्ड सेवा के रूप में समझा जाता है।
		(त)	जिन कार्मिकों ने एसपीजी/एनएसजी/एनडीआरएफ के लिए अनिच्छुकता व्यक्त की है अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति के लिए उनके नाम पर अगले 5 वर्षो के लिए विचार नहीं किया जाएगा। उनकी सेवा पुस्तिका में इसका इन्द्राज किया जाएगा।
		(थ)	जिन कार्मिकों ने प्रतिनियुक्ति के लिए पहले इच्छुकता व्यक्त की है और उनका चयन हो जाने के बाद उनके द्वारा आदाता संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने से इंकार करने पर उनकी प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष के लिए रोक लगा दी जाएगी। इस प्रकार के मामलों पर नजर रखने हेतु संबंधित व्यक्ति की सेवा पुस्तिका में इस संबंध में इंद्राज किया जाएगा।
		(द)	प्रतिनियुक्ति हेतु नामांकित किए जा रहे व्यक्ति नामांकन की तिथि से 2 वर्षो के अंदर सेवानिवृत्त नहीं होने चाहिए तथा 57 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त हो रहे व्यक्ति पर विचार तभी किया जाएगा यदि आदाता विभाग में उक्त पद के लिए जहां सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की है वहां उस पर को भरने हेतु भर्ती नियमावली में प्रतिनियुक्ति/पुनः रोजगार की संयुक्त प्रणाली की व्यवस्था हो।
		(ध)	एसपीजी, एनएसजी और अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति के लिए सेक्टर कार्यालय योग्य कार्मिकों के पैनल का रखरखाव करेगा। अंचल/सेक्टर जब भी आवश्यकता होगी अथवा निदेशालय द्वारा मांगे जाने पर परिशिष्ट–'क' के संलग्न प्रारूप में पैनल प्रस्तुत करेंगे। जैसे ही आदाता संगठनों से प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिकों की कोई मांग प्राप्त होती है तो इसे महानिदेशालय द्वारा सूचित किया जाएगा और अंचल/सेक्टर कार्यालय उस समय पैनल प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर का पूरा लाभ उठाने हेतु अंचल/सेक्टर कार्यालय शीघ्र उन व्यक्तियों की सेवा पुस्तिकाएं, गोपनीय कार्ड/एसीआर पूरी तरह जांच करने के बाद निर्धारित समय सीमा में एक ही बार प्रेषित करेंगे।
		(प)	एसपीजी/एनएसजी, एनडीआरएफ और अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति के लिए नामांकित/चयनित कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, एसीआर, और बायोडाटा संबंधित सेक्टर द्वारा सीधे आदाता संगठन को भेजा जाएगा जबकि निदेशालय में केवल नामांकित कार्मिकों के बायोडाटा की सॉफ्ट कॉपी ही प्रेषित की जाएगी।
		(फ)	स्थायी कार्यालय/संस्थानों से कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति पर जाने के दौरान उनके लियन का रखरखाव केवल उनकी पिछली यूनिटों द्वारा ही किया जाएगा और जो कार्मिक यूनिट से प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, उनका लियन का रखरखाव उनकी वर्तमान यूनिट द्वारा किया जाएगा।

		(ब)	विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर गए कार्मिकों के प्रत्यावर्तन की निगरानी संबंधित सेक्टरों और यूनिटों द्वारा प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के ठीक पहले तक की जाएगी। कार्मिकों के समय पर प्रत्यावर्तन हेतु आदाता विभाग से मामला प्रस्तुत करने हेतु संबंधित पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा इस महानिदेशालय में समय रहते मामला भेजा जाना चाहिए।
		(भ)	संगठन/देश से बाहर प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन होने पर कार्मिकों को स्थेटिक तैनाती देने पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उनकी परिचालनिक क्षेत्र में तैनात बटालियन में न्यूनतम 2 वर्ष के लिए तैनाती की जाएगी। विशिष्ट प्रशिक्षकों की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों की उनके मूल्यांकन और महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) निदेशालय की सिफारिश के आधार पर तैनाती की जाएगी।
		(म)	प्रतिनियुक्त के सेवा हितों पर नजर रखने तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें प्रत्यावर्तित कराने की पूरी–पूरी जिम्मेदारी संबंधित यूनिट/ग्रुप केन्द्रों की होगी। वे प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के मामलों को भी कम से कम एक वर्ष पहले महानिदेशालय को सूचित करेंगे।
		(य)	किसी भी कार्मिक को उसकी पूरी सेवा के दौरान सामान्यतः दो बार से अधिक प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति नहीं होगी। (II) 7 (क) के साथ पठित यह शर्त एसपीजी और एनएसजी से प्रत्यावर्तित कार्मिकों पर भी लागू है।
		(र)	गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 31–32/2005–एनडीएम–एक दिनांक 14/5/2003 में उल्लिखित क्यूआर में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार एनडीआरएफ की भर्ती नियमावली के तैयार होने तक अथवा गृह मंत्रालय से अन्य अनुदेश प्राप्त होने पर एनडीआरएफ को प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक उपलब्ध करवाए जाएंगे।
		(ल)	जहां सक्षम प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक की राय है कि यह आवश्यक अथवा व्यवहारिक होने पर और इससे केरिपुबल के हितों का नुकसान नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति, वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इस नीति के प्रावधानों के पैरा 3 (च) (छ) (ज) (झ) (ठ) (ड) और (ढ़) में दिए अनुसार स्थेटिक तैनाती की शर्तों में लिखित में उल्लेख करते हुए आदेश के द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है।
		(व)	इन दिशा निर्देशों के बीच परस्पर विरोध के मामले में गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण के अनुदेश मान्य होंगे।
(4)		:	यह आदेश इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

हस्ता0/– 20/7/2015
(प्रकाश मिश्र) भा0पु0से0
महानिदेशक, केरिपुबल

लगातार पेज 8

संख्या : डी.आई–1/2015–स्थापना दिनांक 20/7/2015

1. विशेष महानिदेशक, मध्य /जम्मू–कश्मीर/पूर्वोत्तर अंचल केरिपुबल।
2. अपर महानिदेशक, दक्षिणी अंचल।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक, (परिचालन सेक्टर) सहित/निदेशक आंतरिक सुरक्षा अकादमी/निदेशक (चिकित्सा) महानिदेशालय, केरिपुबल।
4. सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, परिचालनिक रेजों सहित।
5. प्राचार्य सी.आई.ए.टी/केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज (दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) सहित सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज और रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र तथा केन्द्रीय हथियार भण्डार –एक एवं दो केरिपुबल।
6. सभी बटालियनों के कमान्डेंट बेतार/द्रुत कार्य बल/कोबरा/एसडीजी सहित केरिपुबल।
7. सभी पुलिस महानिरीक्षक (चिकित्सा,) कम्पोजिट अस्पताल, केरिपुबल।
8. सभी आडिट अधिकारी, आईएपी केरिपुबल।

हस्ता0/– 20/7/2015
(वी0 के0 बिष्ट)
पुलिस उप महानिरीक्षक
(स्थापना) निदेशालय

आंतरिक

महानिदेशालय की सभी शाखाएं